<u>न्यायालयः- सिविल जज (जू.डि.), मऊ, चित्रकूट</u>।

मूलवाद संख्या- 81 / 2012

लक्ष्मी प्रसाद आदि बनाम जगदीश आदि

<u>01.10.2019-</u>

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र 51ग2 व उसकी मौखिक आपत्ति पर सुना गया। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

प्रार्थना पत्र 51ग2 प्रतिवादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक-16.08.2019 को मौसमी बुखार से पीड़ित हो जाने के कारण वह जिरह हेतु नहीं आ सका और उसका साक्ष्य का अवसर समाप्त कर पत्रावली बहस में नियत कर दी गई। प्रार्थना की गई है कि आदेश दिनांकित 16.08.2019 को निरस्त कर उसे साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाये।

वादी पक्ष द्वारा मौखिक आपत्ति कर अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा जान-बूझकर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थना की गई है कि प्रार्थना पत्र 51ग2 खारिज किया जाये।

पत्रावली के आदेश-पत्र के परिशीलन से विदित होता है कि दिनांक-19.09.2018 को साक्षी डी.डब्लू.-1 का साक्ष्य शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया और तब से पत्रावली इस साक्षी की जिरह हेतु नियत रही। दिनांक-16.08.2019 के पूर्व भी कई बार स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रतिवादी द्वारा बीमार पड़ जाने के कारण साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने का अभिकथन किया गया है। नैसर्गिक न्याय के सिध्दान्त को दृष्टिगत रखते हुये एक अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक वादी पक्ष को हुई असुविधा का प्रश्न है उसका समायोजन हर्जे पर किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र 51ग2 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 51ग2 मु. 500/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तदनुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है। न्यायालय का आदेश दिनांकित 16.08.2019 अपास्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते जिरह डी.डब्लू.-1 दिनांक-15.10.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू.डि.)
मऊ-चित्रकूट।